राजस्थान पत्रिका

मेडिकल छात्रों को अब देना होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट...

डॉक्टर का टैग पाने के लिए पास करनी होगी एक और परीक्षा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

मुंबई . मेडिकल छात्रों को डॉक्टर का टैग प्राप्त करने के लिए अब एक और परीक्षा पास करनी होगी। छात्रों को इस टाइटल को पाने के लिए करीब साढ़े पांच साल का मेडिकल कोर्स पूरा करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय मेडिकल काउंसिल बिल 2016 का एक संशोधन बिल जारी किया। इसमें बताया गया है कि छात्रों को नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) भी पास करना होगा। ऐसा मेडिकल शिक्षा का एक स्तर सुधारने के लिए किया जा रहा है। मेडिकल में ग्रेजुएशन के बाद छात्र को नेक्स्ट पास करना सबसे ज्यादा अहम होगा क्योंकि इसके बिना एमबीबीएस का कोई फायदा नहीं।

देश में मेडिकल शिक्षा का स्तर सुधरेगा

मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि नेक्स्ट परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या से प्रत्येक कॉलेज की गुणवत्ता का भी पता चलेगा। नेक्स्ट के परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा। यदि किसी मेडिकल कॉलेज के 90 फीसदी छात्र इस परीक्षा में पास होते हैं तो इससे उस कॉलेज की गुणवत्ता खुद ही तय हो जाएगी। लेकिन इस कॉमन परीक्षा नेक्स्ट से एक स्तर तय होगा। नेक्स्ट परीक्षा में पास होने वाले छात्र के आधार पर कॉलेज का भी स्तर तय होगा और दूसरे छात्र अपने लिए सही मेडिकल कॉलेज चुन सकें।

डॉक्टर बनने की भेड़चाल पर लगेगी लगाम

वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य डॉ. देवी शेट्टी का मानना है कि इस नए ड्राफ्ट से इस क्षेत्र में बढ़ती डॉक्टरों की संख्या पर लगाम लगाना भी आसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे हमें कुछ काबिल डॉक्टर मिलने में मदद मिलेगी। छात्र साथ ही 30 साल की उम्र से पहले ही विशेषज्ञ डॉक्टर की भूमिका निभा सकेंगे। वहीं डॉ शिंगरे ने बताया कि पिछले 20 सालों में करीब 100 मेडिकल अधिकारी हर साल पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते हैं। मगर इन 2000 डॉक्टरों ने कभी सरकारी सिस्टम में वापसी नहीं की। मेडिकल काउंसिल के पूर्व सदस्य डॉ. गौतम सेन ने कहा कि प्रतिभा की कमी पूरी होगी।

DECCAN Chronicle

RIGHT DOSE ■ Centre's move to standardise medical education

NEXT: Licence to practise MBBS

TEENA THACKER | DC
NEW DELHI, DEC. 29

Soon, medical graduates will have to clear a National level "exit test" (NEXT) to practise medicine in India.

The uniform National Exit Test (NEXT) as proposed by the government will be the first ever, four-in-one test that will be conducted for MBBS graduates, foreign medical graduates, postgraduate aspirants, and the Union Public Service Commission-CMS (combined medical services) aspirants so as to become eligible to practise medicine in the country.

Serving four purposes, the exam therefore will substitute the existing All India Postgraduate Entrance Test conducted annually, the UPSC-CMS exam which is conducted to recruit medical graduates into a variety of central government organisations and the foreign graduate medical exam, mandatory for foreign medical graduates to practise in India.

Union health ministry officials believe that the move will standardise the medical education in India. It gains significance as earlier the parliamentary standing committee in its report had said there was an urgent need to introduce a common exit test for doctors, which would go a long way in standardising the passing out medical graduates and certify the competencies which are expected to be generated out of them.

Once introduced, the exam will also reduce the burden of multiple exams for medical aspirants in the country.

■ Page 8: Medical Council invites suggestions

THE TIMES OF INDIA

Medical students will have to clear exit test for 'Dr'

Malathy Iyer & Yogita Rao | TNN

Mumbai: Medical students will have to do more than complete a five-and-half-year-long medical course to use the 'doctor' title. The draft Indian Medical Council (Amendment) Bill 2016, unveiled by the Union health ministry on Thursday, said they will first have to pass the National Exit Test (NEXT). The test is expected to create a level-playing field in medical education.

A central government official said NEXT would improve the quality of medical education in the country and help benchmark students. "It will substitute three tests, including NEET for postgraduate admissions, recruitment for central health services and the foreign graduate medical examination," said the official, adding it will be an outcome-based test. "The results of how students from individual colleges have performed in NEXT will be made public. If a college has over 90% students clearing the test, it will automatically act as an indicator. Students can make an in-

ONE FINAL EXAM

quality of that college.

However, cardiac surgeon Dr Devi Shetty, a former member of the Medical Council of India, felt the draft's provisions are suitable for an "economy of excess" that has an adequate number of doctors. Another senior doctor said India has a massive shortage of doctors. "Frankly, a doctor is better than no doctor at all. Should we decrecognise doctors because they failed one national exam?"

Reservation for medical officers evoked the sharpest comments. Dr Shetty said, "The brightest people should be allowed to pursue post-graduate studies. We are here encouraging them to take a break in their edu-

दैनिक भास्कर

डॉक्टर का टैग पाने के लिए छात्रों को पास करना होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट

मेडिकल का कोर्स करने वाले छात्रों को 'डॉक्टर' का टाइटल पाने के लिए एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। यह प्रावधान इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2016 में शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार छात्रों को साढ़े पांच साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) देना पड़ेगा। इस परीक्षा को पास करने वाले छात्र ही मेडिकल की प्रैक्टिस कर पाएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार नेक्स्ट के माध्यम से देश में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। यह टेस्ट तीन स्तर पर मान्य होगा। पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए नीट, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरी करने के लिए और विदेशी ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षाओं के लिए। अलग-अलग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट नेक्स्ट में प्रदर्शन के आधार पर सार्वजनिक किया जाएगा। यदि किसी कॉलेज के 90 फीसदी छात्र टेस्ट पास करते हैं, तो कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर माना जाएगा। इससे भविष्य में छात्रों को कॉलेज का चुनाव करने में आसानी होगी।